राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः वीएस/1/19/2019/ दिनांकः

1–समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

2–समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

विषयः– राज्य में जन्म और मृत्यु के शत–प्रतिशत पजीकरण के संबंध में।

सदर्भः– निदेशालय के पत्र क्रमांक 234 दिनांकः 3.9.13, 696 दिनाकः 4 8 14, 600 दिनांकः 3.3.16, 920 दिनांकः 13 4.16, 1286 दिनाक 5 7 16, 180 दिनाक 15 2 17 एवं 498 दिनांक 7.3.2017, 687–787 दि0 27.3.17, 1085 दिनांकः 11 7 17 1362 दिनांकः 11.12.2017, 602 दिनांकः 21 3.2018, 650 दि0 24.4 18, 951 दिनाक 22.10.18 एवं 957 दिनाक 1.11.2018

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भित पत्रों के सम्बन्ध मे अनुरोध है कि निदेशक एव संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं साख्यिकी निदेशालय, जयपुर ने पत्र क्रमाकः एफ.13/1/3/आरजीआई/वीएस/डीईएस/2018/328 दिनांक 22 7 2019 के साथ भारत के महारजिस्ट्रार एव जनगणना आयुक्त का अ0शा0 पत्रांकः 590 दिनांक 19.6 2019 संलग्न कर लिखा है कि भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय ने जन्म मृत्यु पंजीयन प्रणाली को सुदृढ बनाने हेतु **'विजन 2020'** निर्धारित किया है। जिसका उद्धेश्य राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2020 तक सभी संस्थागत जन्म ओर मृत्यु के पंजीकरण स्तर को शत–प्रतिशत करना एवं सभी पंजीकृत हुए जन्म और मृत्यु हेतु विधिक जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना है।

जन्म ओर मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) कार्यपालक प्राधिकारी है जो कि राज्य में रजिस्ट्रीकरण के कार्य में समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। राज्य में जन्म और मृत्यु पंजीकरण की सफलता मे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में संचालित सभी सरकारी चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी में रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार नियुक्त किए हुए है जो चिकित्सा संस्थान के भीतर घटित जन्म और मृत्यु की घटना को पंजीकृत करने के लिए अधिकृत है।

अत. आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन आने वाले सभी चिकित्सा सस्थान मे होने वाली जन्म और मृत्यु की प्रत्येक घटना का शत प्रतिशत पंजीयन करना सुनिश्चित करने हेतु रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार को पाबन्द करें, ताकि विजन 2020 के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

(डॉ0 रवि प्रकाश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः वीएस/1/19/2019/223 दिनांक 8/8/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, आर्थिक एव सांख्यिकी, राज0, जयपुर।

2– समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह को भेजकर अनुरोध है कि आपके अधीन आने वाले चिकित्सालयों में होने वाली जन्म एव मृत्यु की प्रत्येक घटना का शत प्रतिशत पजीयन करना सुनिश्चित करने हेतु रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार को पाबन्द करें ताकि विजन 2020 के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

3– प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने/मेल कराने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर।

vsodmhs1914@gmail.com